[2019] 13 एस.सी.आर. 349

रितु सक्सेना बनाम जे० एस. ग्रोवर एवं अन्य

सिविल अपील नं० 7268-7269/ 17 सितंबर, 2019

[न्यायमूर्तिगण एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता]

विशिष्ट करार निष्पादन:

विशिष्ट करार निष्पादन के लिए मुकदमा-मुकदमे की संपत्ति को बेचने के लिए करार को लागू करने की मांग – परीक्षण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने में विफल रही- परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की- सुप्रीम कोर्ट में अपील अवधारितः मुकदमे की संपत्ति खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता के बारे में वादी का बयान बिना किसी पुष्टि दस्तावेजी सबूत के था इस तरह के बयान पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थी। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये निष्कर्ष यह बताता है कि किसी अवैधता से ग्रस्त न हों.

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अवधारित किया : अपीलकर्ता द्वारा अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए जिस एकमात्र दस्तावेज पर विश्वास किया गया वह बैंक द्वारा 30 जुलाई 2004 को ऋण की मंजूरी है। ऐसी मंजूरी दो शर्तों के अधीन थी, अर्थात्, अपीलकर्ता के आयकर दस्तावेज़ और संपत्ति दस्तावेज़ प्रस्तुत करना। बैंक ने 12 मई, 2005 को अपीलकर्ता के पति को एक ईमेल भेजा था, जिसमें पैनल में शामिल अधिवक्ता से मांगी गई कानूनी राय के अनुसार, पक्षकारों के बीच 50 रुपये के स्टांप पेपर पर बेचने के लिए एक विक्रय करार को निष्पादित करने की मांग की गई थी। जिसके बिना बैंक ऋण नहीं दे पाएगा। माना जाता है कि स्टांप पेपर पर कोई करार निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता बैंक से 50 लाख रुपये का ऋण नहीं ले सका। इस तरह के ऋण से स्वतंत्र, केवल यह कथन है कि अपीलकर्ता और उसके पति की प्रति वर्ष 80 लाख रुपये की आय है, जो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। ऐसा बयान अपीलकर्ता और/या उसके पति के बिना प्रमाण के दावे की प्रकृति में होगा और

बिना किसी पुष्टिकरण साक्ष्य के होगा। ऐसे स्ववित्तीय संसाधनों के किसी भी प्रमाण के बिना बयान प्रस्तुत करने पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थी। अपीलकर्ता ने अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक होने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता के दावे के समर्थन में कोई आयकर रिकॉर्ड या बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, केवल यह तथ्य कि बैंक ने किसी अन्य संपत्ति के संबंध में पहले ऋण देते समय अपीलकर्ता की वित्तीय क्षमता का आकलन किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों में वित्तीय क्षमता के प्रमाण के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थी।

ए कंथामणि बनाम नसरीन अहमद (2017) 4 एससीसी 654:[पैरा15] [356-ए-ई] [2017] 2 एससीआर 610-प्रतिष्ठित।

केस लॉ रेफरेंस [2017] 2 एससीआर 610 प्रतिष्ठित पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या, 7268-7269/2019

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.07.2018 के आरएफए संख्या 518 की समीक्षा याचिका संख्या-328/18 में आदेश दिनांक 29.08.2018 से जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण के. सिन्हा, स्वास्तिक वर्मा, नयन दुबे, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.नरेंद्र हुडा, सीनियर एडवोकेट, अंकुर बंसल, राजेंद्र बेनीवाल, सिमरनजीत सिंह, एडवोकेट। उत्तरदाताओं के लिए न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता,

1. असफल वादी ने फ्लैट नंबर 272, ग्राउंड फ्लोर, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली के संबंध में 18 जुलाई 2004 के एक करार के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे से उत्पन्न होने वाली अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर की है।

2. अपीलकर्ता का पति, जो मेसर्स के कर्मचारी के रूप में है। जीई कैपिटल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के 13000/-रू०मासिक किराए पर उक्त आवासीय परिसर पर काबिज थी। 13,000/- का भुगतान किरायेदार अर्थात मैसर्स द्वारा किया जाना है। सितंबर 2002 से मकान मालिक को जीई कैपिटल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मौजूदा पट्टे की समाप्ति पर, पट्टे के करार को 01 सितंबर, 2004 से 11 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन पट्टे की समाप्ति से पहले, अपीलकर्ता ने उक्त संपत्ति को कुल 50 लाख.

रुपये की राशि की खरीद के करार में प्रवेश करने का दावा किया है। प्रतिवादियों को चेक द्वारा 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि आगे के सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ जैसे बेचने का करार, बिक्री विलेख उक्त संपत्ति को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से वसीयत, कब्ज़ा प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र निष्पादित किया जाएगा। अनुबंध इस प्रकार है: "मैं, जे.एस. ग्रोवर पुत्र जी.एस. ग्रोवर, निवासी एम-12 (प्रथम तल) कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली 48 अपना घर बेचने के लिए सैद्धांतिक और शर्तों पर सहमत हो गया हूं (50 लाख रुपये के प्रतिफल पर) जो मेरे और मेरी पत्नी श्रीमती वीना ग्रोवर के नाम पर एक फ्रीहोल्ड संयुक्त संपत्ति है, जिसे हाउस नंबर 272, गुलमोहर एन्क्लेव नई दिल्ली 1100049 के नाम से जाना जाता है। इस लेनदेन में मैं रुपये की प्राप्ति स्वीकार करता हूं। अग्रिम राशि के रूप में 1 लाख चेक संख्या 044386 दिनांक 18.7.2004 द्वारा आईसीआईसीआई बैंक वसंत विहार नई दिल्ली से जारी किया गया और उपरोक्त संपत्ति को रितु सक्सेना वर्तमान में 272, गुलमोहर में रहती हैं के नाम पर स्थानांतरित करने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे बिक्री करार, बिक्री विलेख, वसीयत, कब्ज़ा प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं। एन्क्लेव नई दिल्ली 110049 और बी-377 इंदिरा नगर लखनऊ, यूपी का स्थायी निवासी। -एसडी- 18.7.2004 जे.एस. ग्रोवर)"

3. अपीलकर्ता 30 जुलाई 2004 के संचार पर विश्वास करता है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है! लेकिन ऋण का वितरण इसके बाद ही हुआ था जैसा कि उनके पति के साथ चर्चा की गई थी, बैंक को सभी आयकर और संपत्ति दस्तावेज प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने 14 सितंबर, 2004 को प्रतिवादियों को लंबित दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की तारीख तय करने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद 21 दिसंबर 2004 को एक और पत्र लिखा गया था। 19 अप्रैल, 2005 को एक कानूनी नोटिस भी दिया गया था। 27 अप्रैल, 2005 के जवाब में, यह दावा किया गया था कि बेचने का एक औपचारिक करार 21 जुलाई, 2004 को या उससे पहले निष्पादित किया जाना था और अपीलकर्ता को कुल प्रतिफल का 25% भुगतान करना था । चूंकि अपीलकर्ता कुल प्रतिफल राशि का 25% भुगतान करने में

विफल रहा। इसलिए, समझौता लागू करने योग्य नहीं है। इसके बाद 25 मई 2005 को विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया गया।

4. उत्तरदाताओं ने 18 जुलाई, 2004 के करार के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने के अपीलकर्ता के दावे से इन्कार किया। पक्षकारों ने सबूत पेश किए। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने 28 फरवरी, 2018 को अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि बेचने का करार निष्पादित किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित करने में विफल रही है। हालाँकि, अपीलकर्ता को 1 लाख रुपये और उस पर ब्याज का हकदार पाया गया। इस आशय का एक डिक्री विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। पहली अपील को उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई, 2018 को परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता अभी भी व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने पहले गाजियाबाद में एक फ़्लैट खरीदने के लिए 13 लाख रुपये का ऋण लिया था। उस वक्त आई०सी०आई०सी०आई०की ओर से 90 लाख रुपये का लोन लेने की क्षमता आंकी गई थी. बाद में, अपीलकर्ता ने संबंधित संपत्ति खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया। बैंक ने 50 लाख रुपये के ऋण को मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा 50/- रुपये के स्टांप पेपर पर एक करार निष्पादित नहीं होने के कारण इसे वितरित नहीं किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित कर दी है और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष स्थिर नहीं है।

6. अपने दावे के समर्थन में, अपीलकर्ता ने शपथपत्र पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और खुद को पीडब्लू-1 के रूप में जिरह के लिए उपलब्ध कराया। पीडब्लू-2 उसका पति है जबकि पीडब्लू-3 आईसीआईसीआई का अधिकारी है जिसने अपीलकर्ता और/या उसके पति द्वारा मांगे गए ऋण के संबंध में गवाही दी है। अपीलकर्ता ने आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा जारी 30 जुलाई 2004 के मंजूरी पत्र (प्रदर्श-PW3/1) पर भरोसा किया। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त धनराशि और संसाधन हैं जिन्हें वह निकाल सकती है और अपने पक्ष में लेनदेन को पूरा करने की स्थिति में

है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी और उनके पति की संयुक्त वार्षिक आय लगभग 80 लाख रुपये प्रति वर्ष है और वे आसानी से किसी भी बैंक से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं और 50 लाख रुपये की राशि जुटाना बहुत आसान है। . अपीलकर्ता के पति पीडब्लू-2 विष्णु कांत का हलफनामा भी ऐसा ही है। पीडब्लू-3 अनिल कुमार श्रीवास्तव, जोनल हेड (उत्तर), आईसीआईसीआई हैं, जिन्होंने पुष्टि की कि न्यायिक फ़ाइल से उन्हें दिखाया गया 30 जुलाई 2004 का पत्र उनकी कंपनी द्वारा जारी किया गया था, हालांकि, उनकी कंपनी के पास इस पत्र की कोई प्रति नहीं है। अभिलेख। जिरह में उन्होंने कहा कि 2-3 महीने पहले कहा था विष्णु कांत और अपीलकर्ता को 13 लाख रुपये का गृह ऋण स्वीकृत किया गया था, हालांकि उनकी ऋण शोधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए वे 90 लाख रुपये की सीमा तक ऋण के हकदार थे। उन्होंने 60 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में, वाद की संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति खरीदने के लिए उनकी आवश्यकता को घटाकर लगभग 13 लाख रुपये कर दिया गया और उन्हें फ़्लैट नंबर 272, ग्राउंड से संबंधित कागजात कभी नहीं मिले।

7. 13 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के दस्तावेज से पता चलता है कि आवेदन संख्या 777-2415523 के संबंध में ऋण स्वीकृत किया गया है। यह वही आवेदन संख्या है जिस पर अपीलकर्ता ने संपत्ति खरीदने के लिए गृह ऋण के रूप में 50 लाख रुपये की मंजूरी के लिए विश्वास किया है।

8. वाद क्रमांक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय। 2 इस बात पर कि क्या वादी बेचने के करार के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थी, निम्नलिखित निष्कर्ष लौटाया: "हालाँकि, वादी - पीडब्लू-1 और उसके पति - पीडब्लू-2 दोनों ने जिरह के दौरान बताया कि उनके पास संपत्ति० खरीदने के लिए धन/वित्तीय क्षमता थी। पीडब्लू-1 ने यह बयान दिया है कि 09.04.2005 को जब वे गए थे प्रतिवादी के घर वे अपने साथ एक बैंकर चेक ले जा रहे थे। लेकिन उन्होंने न तो बैंकर चेक का कोई विवरण दिया है और न ही बैंकर चेक की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी है। इसके अलावा, जिस खाते से खाते की पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी ली गई है। बैंकर का चेक तैयार किया गया था, उसके कथन के समर्थन में और यह दिखाने के लिए दायर किया गया है कि बैंकर का चेक वास्तव में तैयार किया गया था। इसके

अलावा, पीडब्लू-1 ने गवाही दी कि उनके पास 80 लाख रुपये की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी इसका कोई विवरण नहीं है उक्त संपत्ति के बारे में बताया गया है और न ही इस संस्करण के समर्थन में उन संपत्ति दस्तावेजों की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है। इस प्रकार, 18.07.2004 से दाखिल होने तक किसी भी समय वादी को दिखाने के लिए एक भी दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। मुकदमा, अन्य संपत्ति का मालिक था या उसके बैंक खाते में या उसके पति के खाते में या 49 लाख रुपये की शेष बिक्री के भुगतान के लिए धन के किसी अन्य स्रोत में पैसा था। इसके अभाव में, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान बिना किसी महत्व के गंजे बयानों से ज्यादा कुछ नहीं हैं।"

9. इस प्रकार, परीक्षण न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता बेचने के करार के विशिष्ट अनुपालन का हकदार नहीं है, लेकिन रुपये की वसूली के करार की तारीख से उसकी वसूली तक प्रति वर्ष 15% ब्याज के साथ 1 लाख रु. की डिक्री दे दी गयी।

10. अपील में, उच्च न्यायालय ने शुरू में इस बात पर विचार किया कि शेष बिक्री धनराशि 49 लाख रुपये के मुकाबले केवल 13 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए त्रुटि पाते हुए उक्त पहलू को ठीक कर दिया गया। अन्य संपत्ति के संबंध में 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता और उसके पति के हलफनामे में स्व -सेवा संबंधी कथनों को वित्तीय क्षमता होने के प्रमाण के दायित्व से मुक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है। साक्ष्य क्या है और साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, ये दो अलग-अलग पहलू हैं और वित्तीय क्षमता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मौखिक बयान को अदालतों द्वारा वित्तीय क्षमता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को इस तर्क से संतुष्टि नहीं हुयी कि अपीलकर्ता और उसके पति की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई जिरह नहीं हुई है। यह पाया गया कि यह सुझाव, कि अपीलकर्ता और उसके पति ने झूठी गवाही दी है, उसकी वित्तीय क्षमता पर विवाद करने और करार के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त माना गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता विवेकाधीन विशिष्ट अनुपालन का हकदार नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता ने 1 लाख रुपये का भुगतान किया है जो कि 50 लाख रुपये की कुल बिक्री का 2% है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादियों ने

किरायेदार, जो कि उसके पति का नियोक्ता है, के खिलाफ कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया है क्योंकि वे पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद मुकदमा संपत्ति खाली करने में विफल रहे। कब्जे की डिक्री अंतिम रूप ले चुकी है और प्रतिवादियों ने संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया है।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने ए. कंथामणि बनाम नसरीन अहमद में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया?' यह तर्क देने के लिए कि तत्परता और इच्छा का अर्थ यह नहीं है कि अपीलकर्ता को नकद राशि या बैंक में राशि ले जाना है, बल्कि यह भुगतान करने की वित्तीय क्षमता है। अपीलकर्ता ने शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है। उद्धृत मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"26. यह न्यायालय सुखबीर सिंह बनाम बृज पाल सिंह

[सुखबीर सिंह बनाम बृज पाल सिंह, (1997) 2 एससीसी 200: एआईआर 1996 एससी 2510]

इन शब्दों के साथ उपरोक्त सिद्धांत का पालन किया गया: (एससीसी पृष्ठ 202,पैरा 5)

(2017) 4 एससीसी 654

"5. कानून संदेह में नहीं है और यह कोई शर्त नहीं है कि उत्तरदाताओं के पास तैयार नकदी होनी चाहिए। तथ्य यह है कि वे बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित हुए और याचिकाकर्ताओं के कार्यालय में उपस्थित होने का इंतजार किया। उप-रजिस्ट्रार यह साबित करने के लिए एक सकारात्मक तथ्य है कि उनके पास प्रतिफल पारित करने के लिए आवश्यक धन था और पंजीकरण के समय भुगतान के लिए उनके पास आवश्यक धन था। यह उत्तरदाताओं के लिए यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि उनके पास करने की क्षमता थी बिक्री प्रतिफल का भुगतान करें। यह आवश्यक नहीं है कि वे मुकदमे की तारीख से डिक्री की तारीख तक हमेशा पैसा अपने साथ रखें। इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि निचली अदालतों ने अनुमति देने के लिए उचित रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया है कानून के ठोस सिद्धांतों पर उत्तरदाताओं को विशिष्ट अनुपालन का अनुतोष ।"

28. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर अपील में साक्ष्य की सराहना करने का कार्य करने के लिए अनिच्छुक है। ऐसा तब और अधिक होता है जब ऐसी अपील फैसले से उत्पन्न होती है, जिसमें तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं,

12. अपीलकर्ता का तर्क है कि भुगतान करने की क्षमता आईसीआईसीआई द्वारा ऋण की मंजूरी से साबित होती है और तथ्य यह है कि अपीलकर्ता और उसके पति की प्रति वर्ष 80 लाख रुपये की पर्याप्त आय है, इसलिए, दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष स्थिर नहीं हैं.

13. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र हुडा ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत वर्तमान अपील में साक्ष्य की पुनः सराहना की मांग कर रहा है। सामान्य महत्व के कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इस न्यायालय के विचारार्थ नहीं उठ रहा है। यह भी तर्क दिया जाता है कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत एक विवेकाधीन राहत है। दोनों अदालतों ने विवेकाधीन राहत देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

14. हमें वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती। ए कंथामणि मामले में निर्णय प्रतिवादी द्वारा करार के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री प्रदान करते हुए नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की समवर्ती खोज के खिलाफ दायर अपील में था। इस न्यायालय ने साक्ष्यों की पुनः सराहना के बाद भी दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया है।

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, अपीलकर्ता द्वारा अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए जिस एकमात्र दस्तावेज पर भरोसा किया गया वह आईसीआईसीआई द्वारा 30 जुलाई 2004 को ऋण की मंजूरी है। ऐसी मंजूरी दो शर्तों के अधीन थी, अर्थात्, अपीलकर्ता के आयकर दस्तावेज़ और संपत्ति दस्तावेज़ प्रस्तुत करना। एमएस। आईसीआईसीआई ने 12 मई, 2005 को अपीलकर्ता के पति को एक ईमेल भेजा था, जिसमें पैनल में शामिल वकील से मांगी गई कानूनी राय के अनुसार, पार्टियों के बीच 50 रुपये के स्टांप पेपर पर बेचने का एक करार करने की मांग की गई थी। जिसे आई०सी०आई०सी०आई० लोन नहीं बांट पाएगा. माना जाता है कि स्टांप

पेपर पर कोई करार निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता आईसीआईसीआई से 50 लाख रुपये का ऋण नहीं ले सका। इस तरह के ऋण से स्वतंत्र, केवल यह कथन है कि अपीलकर्ता और उसके पति की प्रति वर्ष 80 लाख रुपये की आय है, जो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। ऐसा बयान अपीलकर्ता और/या उसके पति के आईपीएसआई दीक्षित की प्रकृति में होगा और बिना किसी पुष्टिकरण साक्ष्य के होगा। वित्तीय संसाधनों के किसी भी सबूत के बिना इस तरह के स्व-सेवारत बयानों पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थी। अपीलकर्ता ने वित्तीय क्षमता की अपनी दलील के समर्थन में कोई आयकर रिकॉर्ड या बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है ताकि वह अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक हो। इसलिए, केवल यह तथ्य कि बैंक ने किसी अन्य संपत्ति के संबंध में पहले ऋण देते समय अपीलकर्ता की वित्तीय क्षमता का आकलन किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों में वित्तीय क्षमता के प्रमाण के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता तैयार और इच्छुक था। अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा करने के लिए। नीचे की दोनों अदालतों द्वारा भी यही निष्कर्ष दर्ज किया गया है।

16. उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम सबूतों की पुनः सराहना करने पर भी यह नहीं पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी से प्रभावित है अवैधता जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। परिणामस्वरूप, अपीलें खारिज की जाती हैं।

17. रुपये की राशि. इस न्यायालय के 19 नवंबर, 2018 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए 3.5 करोड़ रुपये, जिसे एफडीआर में निवेश किया गया है, नियमानुसार उस पर अर्जित ब्याज सहित वापस किया जा सकता है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज।

Digitally signed by
SURYABAHAN KUMAR VERMA
Date: 2023.11.03 16:38:41 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions
Court Raebareli